

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-द्वितीय/2017/

दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88) वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.14 (88) एफ. डी/रूल्स/2008/06.10.2015 एवं 20.11.2015 की अनुपालना में दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण निम्न वर्णितानुसार एसीपी देय तिथि से 5 वर्ष पश्चात एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी देय तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बैंड	ग्रेड-पै
1	श्री दीपचन्द, लिपिक ग्रेड प्रथम, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़, अजमेर।	04.02.1994	18 वर्ष	04.02.2017	9300-34800	3600
2	श्री सैयद अजीजुद्दीन, लिपिक ग्रेड द्वितीय, जोन-जोधपुर।	24.01.1994	18 वर्ष	24.01.2017	9300-34800	3600

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(रामनिवास जाट)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

दिनांक : 18.04.17

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-द्वितीय/2017/896

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/अजमेर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़, अजमेर।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर